नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना की दिनांक 30.01.2018 को आयोजित 68वीं बैठक का कार्यवृत्त

पटना स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटना की 68वीं बैठक दिनांक 30.01.2018 को श्री नेलन प्रकाश तोपनो, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना एवं अध्यक्ष, नराकास (बैंक), पटना की अध्यक्षता में होटल गार्गी ग्रैंड, पटना में संपन्न हुई। इस बैठक में पटना नगर स्थित विभिन्न बैंकों के कार्यालय प्रमुख, वरिष्ठ कार्यपालकगण एवं राजभाषा अधिकारी (सूची संलग्न) उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री निर्मल कुमार दूबे, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता उपस्थित थे।

बैठक आरंभ होने के पहले पूर्वाह्न 11:00 बजे समिति द्वारा दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इसके बाद बैठक आरंभ करते हुए समिति के सदस्य-सचिव श्री कुमार परिमलेन्दु सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य उपस्थित कार्यपालकगण तथा राजभाषा अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

इसके पश्चात सदस्य सचिव ने समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा। समिति ने सर्वसम्मति से 67वीं बैठक के कार्यवृत्त को पारित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में बैंकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग केवल हमारा संवैधानिक दायित्व ही नहीं है बल्कि यह हमारे बैंकिंग कारोबार को भी एक विस्तार देता है। इसके माध्यम से हम अपने ग्राहकों से सहजता से संवाद स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य में हम आम आदमी की भाषा हिंदी के प्रयोग के माध्यम से आम आदमी को बैंकिंग सेवा से आसानी से जोड़ सकते हैं। इस दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना तथा सभी सदस्य बैंकों की एक विशिष्ट भूमिका है।

इसके बाद बैठक में मुख्य अतिथि श्री निर्मल कुमार दूबे ने नराकास (बैंक), पटना के सदस्य बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की। उन्होंने राजभाषा नीति के सही कार्यान्वयन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करते हुए राजभाषा संबंधी रिपोर्टों की तथ्यात्मक प्रस्तुति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि इसका सही-सही अनुपालन किया जाना हर कार्यालय के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जाना अपेक्षित है कि रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़े वास्तविक और तथ्यात्मक हों। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में काम किए जाने तथा राजभाषा हिंदी के संदर्भ में सर्जनात्मक कार्य किए जाने पर बल दिया।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

मुख्य अतिथि महोदय ने अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन में नराकास (बैंक), पटना द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों तथा उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की सराहना की और समिति के निरंतर विकास के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन और राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन की नित्य नयी मंज़िलें हासिल करेगी तथा अन्य नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए एक दृष्टांत बनकर प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने समिति को सूचित किया कि आगामी 10 मार्च 2018 को पटना में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन में नराकास (बैंक), पटना से यथासंभव सहयोग अपेक्षित है।

मद सं. 5. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति द्वारा सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद सं.6. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा

समिति द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रस्तुत बैंकों के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि 18 बैंकों से अनुपालन प्राप्त हो गया है किन्तु 6 बैंकों से कार्यान्वयन रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी है।

समिति ने इस बात के लिए क्षोभ व्यक्त किया एवं उन बैंकों को सलाह दी कि भविष्य में कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई : आंध्रा बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक एवं सिडबी)

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

मद सं. 6.6 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

सभी बैंकों ने हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया सिवाय इलाहाबाद बैंक, नाबार्ड एवं आईडीबीआई बैंक को छोड़कर।

समिति ने इलाहाबाद बैंक, नाबार्ड एवं आईडीबीआई बैंक से भी अनुरोध किया कि वे हिंदी कार्यशाला का नियमित रूप से आयोजन करें।

आईडीबीआई बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने सूचित किया कि उनके बैंक में पटना क्षेत्र में किसी हिंदी अधिकारी की तैनाती न होने की वज़ह से वे हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नहीं कर पाते हैं। इस तरह की कार्यशालाएँ उनके कोलकाता स्थित अंचल कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और वे अपने अधिकारियों को वहाँ प्रतिनियुक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने आईडीबीआई बैंक को सलाह दी कि वे पटना क्षेत्र में ही हिंदी कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। यदि इसके लिए संकाय सदस्य के रूप में हिंदी अधिकारियों की आवश्यकता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें ऐसी सहायता उपलब्ध करा सकता है।

(कार्रवाई : इलाहाबाद बैंक, नाबार्ड एवं आईडीबीआई बैंक)

मद सं.6.8 हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित करना

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि सभी बैंकों ने जिन-जिन प्रतियोगिताओं को कराने का जिम्मा लिया था उन्होंने उन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा लिया है। सिर्फ आंध्रा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया है।

आंध्रा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से समिति ने अनुरोध किया कि वे इन प्रतियोगिताओं का आयोजन अविलंब करें।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

आंध्रा बैंक ने वाद-विवाद प्रतियोगिता फरवरी 2018 माह तक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चित्र कहानी प्रतियोगिता मार्च 2018 माह के आखिर तक करवा लेने का आश्वासन दिया।

(कार्रवाई : आंध्रा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

मद सं. 7(क) सदस्य बैंकों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

यह पाया गया कि उन सभी सदस्यों द्वारा जिन्होंने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है, धारा 3(3) के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है।

मद सं. 7(ख) राजभाषा नियम 5 का अनुपालन

यह देखा गया कि नाबार्ड को छोड़ सभी बैंकों ने राजभाषा नियम 5 का अनुपालन किया है अर्थात हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया है। नाबार्ड द्वारा हिंदी में प्राप्त 624 पत्रों में से मात्र 262 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया।

समिति ने नाबार्ड से अनुरोध किया कि वे हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई : नाबार्ड)

मद सं. 7(ग) बैंकों द्वारा मूल पत्राचार करने की समीक्षा

समिति ने सदस्य बैंकों द्वारा किए गए मूल पत्राचार की समीक्षा की। यह पाया गया कि सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक, आईडीबीआई बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही मूल पत्राचार शत-प्रतिशत हिंदी में किया है।

अन्य सभी बैंकों से समिति ने आग्रह किया कि वे भी अपने- अपने बैंकों में मूल पत्राचार का प्रतिशत 100% रखें।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

(कार्रवाई: आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, नाबार्ड एवं सिडबी)

मद सं. 7(घ) राजभाषा नियम 11 का अनुपालन

समिति ने सदस्य बैंकों द्वारा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुपालन की समीक्षा की। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार बैंकों के सभी मैनुअल द्विभाषी होने आवश्यक हैं। इसी प्रकार बैंक के प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ की मुहरें, साइन बोर्ड, नाम पट्ट, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी होने चाहिए।

यद्यपि बैंकों से इसके अनुपालन के संबंध में कोई आँकड़े नहीं गये थे किन्तु सभी बैंकों ने इसका आश्वासन दिया कि उनके कार्यालयों में इसका शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा है।

मद सं. 8 सदस्य बैंकों द्वारा फाइलों में हिंदी में टिप्पण

समिति ने सदस्य बैंकों द्वारा फाइलों में हिंदी टिप्पण कार्य की समीक्षा की। यह पाया गया कि प्रतिशत के आधार पर इंडियन बैंक द्वारा सर्वाधिक शत-प्रतिशत टिप्पण कार्य हिंदी में हुआ है। अन्य बैंक जिनके यहाँ 90 प्रतिशत या उससे अधिक टिप्पण कार्य हिंदी में हुआ है, वे हैं - भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं आईडीबीआई बैंक।

सबसे कम हिंदी में टिप्पण कार्य ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया जिनका प्रतिशत मात्र 33 है।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

समिति ने ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अनुरोध किया कि वे हिंदी में टिप्पण कार्य का प्रतिशत बढ़ाएँ।

(कार्रवाई : ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स)

मद सं. 9 सदस्य बैंकों द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन

समिति ने सदस्य बैंकों द्वारा हिंदी कार्यशाला के आयोजन के कार्य की समीक्षा की। यह पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वाधिक 13 कार्यशालाओं का आयोजन किया। इंडियन ओवरसीज बैंक और केनरा बैंक ने 4-4 कार्यशालाओं का आयोजन किया। बाकी 12 बैंकों ने 2-2 कार्यशालाओं का आयोजन किया।

इलाहाबाद बैंक, नाबार्ड एवं आईडीबीआई बैंक ने किसी भी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया।

समिति ने इन बैंकों से अनुरोध किया कि वे भी कार्यशालाओं का आयोजन करें।

आईडीबीआई बैंक ने जानकारी दी कि उनके यहाँ हिंदी अधिकारी नहीं होने की वज़ह से वे कार्यशालाओं का आयोजन नहीं कर पाते हैं। वे अपने अधिकारियों को कोलकाता स्थित अंचल कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सुझाव दिया कि वे बिहार में स्थित शाखा में पदस्थापित अधिकारियों/स्टाफ के लिए पटना में कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर संकाय सदस्य के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के हिंदी अधिकारियों की वे मदद ले सकते हैं।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

आंध्रा बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक एवं सिडबी ने चूँकि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, अत: इनके द्वारा कार्यशाला आयोजित करने या नहीं करने की सूचना नहीं है। समिति ने इन बैंकों से भी अनुरोध किया कि वे भी हिंदी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन करें तथा उसकी रिपोर्ट भी भेजें।

(कार्रवाई: इलाहाबाद बैंक, नाबार्ड, आईडीबीआई बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक एवं सिडबी)

मद सं. 10 सदस्य बैंकों द्वारा आंतरिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

समिति ने सदस्य बैंकों द्वारा आंतरिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन की समीक्षा की। यह पाया गया कि 16 सदस्य बैंकों ने अपने यहाँ 2-2 बैठकों का आयोजन किया तथा उसके कार्यवृत्त भी हिंदी में जारी किए। दो बैंकों- इलाहाबाद बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक ने सिर्फ 1-1 बैठक का आयोजन किया।

समिति ने इन दोनों बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने यहाँ हर तिमाही में एक बैठक अवश्य आयोजित करें।

छ: बैंक- आंध्रा बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक एवं सिडबी ने अपने यहाँ आंतरिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। समिति ने उनसे भी आग्रह किया कि वे भी अपने यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन तिमाही आधार पर करें एवं उसकी रिपोर्ट भी करें।

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

(कार्रवाई: इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक एवं सिडबी)

मद सं.11 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

इंडियन बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) डॉ.एन.के.सिंह द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि 'पाटलिपुत्र प्रभा' का प्रकाशन छमाही के बदले सालाना आधार पर कर दिया जाए।

गहन विचार विमर्श के बाद इसे छमाही ही रहने देने का निर्णय लिया गया। सभी सदस्य बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने स्टाफ को इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु सामग्री देने का अनुरोध करें।

(कार्रवाई : सभी बैंक)

कार्यक्रम का संचालन श्री कुमार परिमलेन्दु सिन्हा, सदस्य-सचिव द्वारा किया गया तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री कृष्ण प्रसाद सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया।

कुमार परिमलेन्दु सिन्हा

(कुमार परिमलेन्दु सिन्हा)

सहायक महाप्रबंधक एवं सदस्य-सचिव

(नेलन प्रकाश तोपनो)

अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल:
rajbhashapatna@rbi.org.in

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना की 68वीं बैठक

उपस्थिति-सूची

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम
1.	श्री नेलन प्रकाश तोपनो	अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक, पटना	भारतीय रिजर्व बैंक
2.	श्री निर्मल कुमार दूबे	अनुसंधान अधिकारी (कार्या.)	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
3.	श्री शिव अनंत शंकर	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना	भारतीय रिज़र्व बैंक
4.	श्री अनिल कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	आंचलिक कार्यालय, पटना	बैंक ऑफ इंडिया
5.	श्री जगमोहन सिंह	उप महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
6.	श्री दिनेश कुमार पालीवाल	अंचल प्रबंधक	आंचलिक कार्यालय, पटना	पंजाब नेशनल बैंक
7.	श्री ए.के.भटनागर	अंचल प्रमुख	आंचलिक कार्यालय, पटना	केनरा बैंक
8.	श्री एम.के.बजाज	आंचलिक प्रबंधक	आंचलिक कार्यालय, पटना	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9.	श्री विजयानंद पाढ़ी	उप महाप्रबंधक	आंचलिक कार्यालय, पटना	भारतीय स्टेट बैंक
10.	श्री सुधांशु शेखर	उप अंचल प्रबंधक	आंचलिक कार्यालय, पटना	यूको बैंक
11.	श्री नवरत्न कोन्हार	क्षेत्रीय प्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सिंडिकेट बैंक
12.	श्री मधुसूदन बेहेरा	क्षेत्रीय प्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	इंडियन ओवरसीज बैंक
13.	श्री आर.के.रस्तोगी	उप महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
14.	श्री शिवेश कुमार झा	क्षेत्रीय प्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	आईडीबीआई बैंक
15.	श्री रवीन्द्र कुमार गोयल	उप महाप्रबंधक	आंचलिक कार्यालय, पटना	बैंक ऑफ बड़ौदा
16.	श्री संदीप कुमार	उप महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय	इंडियन बैंक
17.	श्री श्रीनिवास शास्त्री	आंचलिक प्रबंधक	आंचलिक कार्यालय	आंध्रा बैंक
18.	श्री बिरंची प्रधान	मुख्य प्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	विजया बैंक
19.	श्री चंद्रप्रकाश	वरिष्ठ प्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	विजया बैंक
20.	डॉ.एन.के.सिंह	वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	इंडियन बैंक
21.	श्री इफ्तखार अहमद	सहायक महाप्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
22.	श्री कृष्ण प्रसाद सिंह	मुख्य प्रबंधक (राभा)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
23.	श्री सुरेश कुमार	सहायक महाप्रबंधक (राभा)	स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना	भारतीय स्टेट बैंक
24.	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव	मुख्य प्रबंधक (राभा)	आंचलिक कार्यालय, पटना	भारतीय स्टेट बैंक
25.	श्री अनिल वर्मा	प्रबंधक (राभा)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
26.	श्री गिरिवरधारी सिंह	वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)	आंचलिक कार्यालय, पटना	बैंक ऑफ इंडिया
27.	श्री सुभाष चंद्र साह	वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)	आंचलिक कार्यालय, पटना	यूको बैंक
28.	श्री संदीप कुमार	राजभाषा अधिकारी	आंचलिक कार्यालय, पटना	देना बैंक
29.	सुश्री नेहा रंजन	राजभाषा अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	इंडियन ओवरसीज बैंक
30.	सुश्री श्वेता सिंह	राजभाषा अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
31.	श्री हेमंत कुमार	राजभाषा अधिकारी	आंचलिक कार्यालय, पटना	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
32.	श्री निरंजन कुमार झा	वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)	आंचलिक कार्यालय, पटना	कार्पोरेशन बैंक
33.	श्री रवि कुमार सिन्हा	राजभाषा अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सिंडिकेट बैंक
34.	श्री सुशांत कुमार	प्रबंधक (राभा)	आंचलिक कार्यालय, पटना	पंजाब नेशनल बैंक
35.	सुश्री ऋचा	राजभाषा अधिकारी	आंचलिक कार्यालय, पटना	पंजाब नेशनल बैंक
36.	सुश्री विनीता कुमारी	राजभाषा अधिकारी	आंचलिक कार्यालय, पटना	केनरा बैंक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना की 68वीं बैठक

उपस्थिति-सूची

37.	श्री चंदन कुमार वर्मा	प्रबंधक (राभा)	आंचलिक कार्यालय, पटना	बैंक ऑफ बड़ौदा
38.	श्री पूरन चंद	प्रबंधक (राभा)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	नाबार्ड
39.	श्री बृजलाल	प्रबंधक (प्रशासन)	क्षेत्रीय कार्यालय	आईडीबीआई बैंक
40.	श्री कुमार परिमलेन्दु सिन्हा	सदस्य- सचिव एवं समप्र	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	भारतीय रिज़र्व बैंक
41.	श्री राधेश्याम मिश्रा	प्रबंधक एवं सचिवालय प्रतिनिधि	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	भारतीय रिज़र्व बैंक
42.	श्री सुनील कुमार सिंह	प्रबंधक एवं स.प्रतिनिधि	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	भारतीय रिज़र्व बैंक